19.05.25 पत्रावली पेश। अधिवक्ता प्रार्थीया उप.। अप्रार्थीगण को नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थीगण को रूक-रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई, कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को एवं आदेशिका दिनांक 15.4.25 की बहस को पुनः दोहराते हुये मौजा [illegible] के नवीन खसरा नम्बर 22 रकबा 3.66 हैक्टेयर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:50:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

मुकदमा नम्बर ..........

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | न.46 रकबा 4.92 हेक्टेयर व खसरा नं 49 रकबा 0.29 कुल रकबा 8.87 हेक्टेयर भूमि बारीया के पिता चिमना की खातेदारी भूमि होने से वारीया के हिस्से 1/2 पर अप्रार्थी दखलंदाजी नहीं करे एवं ना ही किसी अन्य से कराने। इस आशय की मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबंद फरमावे।<br>हमने वारीया प्रार्थी की बहस पर व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात पर मनन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।<br>—: आदेश :—<br>अतः प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा पुर्बीमेड़ा के ख.न. 22 रकबा 3.66 हे. ख.न. 46 रकबा 4.92 हे. [illegible] रकबा 0.29 हे. मे अप्रार्थी [illegible] के व राजस्व रेकर्ड की यथा [illegible] बनाये रखे।<br>पत्रावली फैसल [illegible] शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर ... सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:50:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner